फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कम्पिल

दि0-12.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. चक्रपाल पुत्र करन सिंह यादव निवासी अहिवरन नगला बहवलपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ 2. रघुवीर सिंह पुत्र लटूरी सिंह निवासी बहवलपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़, मु0अ0स0 130/2002 वाद संख्या 343/2002 धारा 3(1) उ0 प्र0 गैंगेस्टर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 12.09.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी- श्री शैलेश कुमार

को0 मो0 हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार हे0 का0 अमन कुमार

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-12.09.2025

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 206/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/324(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस पुलिस द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/324(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित नामजद / वांछित अभियुक्त अभिनव तौमर पुत्र रामकिशोर निवासी दुर्गा कालोनी कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ व हाल पता मकान नं0 47 गली नं0 01 ब्लॉक डी दयालपुर थाना दयालपुर नई दिल्ली को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.अभिनव तोमर पुत्र रामकिशोर निवासी दुर्गा कालोनी थाना कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ व हाल पता मकान नं0 47 गली नं0 01 ब्लॉक डी दयालपुर थाना दयालपुर नई दिल्ली।

घटना का विवरण:- दिनांक 12.08.2025 को वादी श्री सूर्यप्रताप सिंह पुत्र कौशलेन्द्र सिंह निवासी रुनी चुरसई थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से फायर किया गया। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 13.08.2025 को मु0अ0सं0 206/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/324(2) बी.एन.एस. बनाम अभिनव तोमर आदि पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में अभियुक्त अभिनव तोमर उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ पर अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में देना बताया।

अभियुक्त अभिनव तोमर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 412/2021 धारा 323/325/427/504/506 भादवि को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

2-मु0अ0सं0 20/2025 धारा 115 (2)/131/191(2)/324(4)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

3-मु0अ0सं0 124/2025 धारा 109/351(2)/352 बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

4-मु0अ0सं0 207/2018 धारा 147/323 भादवि को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

5-मु0अ0सं0 223/2021 धारा 147/323/452/504/506 भादवि व 3(1) द, 3(1) ध एससी/एसटी एक्ट को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

6-मु0अ0सं0 297/2021 धारा 147/323/504 भादवि को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

7-मु0अ0सं0 402/2021 धारा 147/323/506 भादवि को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

8-मु0अ0सं0 446/2020 धारा 323/452/504/506 भादवि को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

9-मु०अ०स० 12/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

10-मु0अ0सं0 560/2020 धारा 286/504/506 भादवि को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

11-मु0अ0सं0 10/2022 धारा 307/323/504/506 भादवि को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 दर्शन सिंह

2.उ0नि0 नितिन कुमार

3.का0 छोटेलाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 12.09.2025

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.09.2025 को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा रात्रि गश्त व संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग के दौरान अभियुक्त मनीष गुप्ता पुत्र रजनेश गुप्ता निवासी ठाकुर जी मन्दिर के पास कचहरी टोला थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 280/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मिली कार को 207 एमवी एक्ट में सीज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1. मनीष गुप्ता पुत्र रजनेश गुप्ता निवासी ठाकुर जी मन्दिर कचहरी टोला कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज ।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 11.09.2025 की रात्रि थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा रात्रि गश्त व संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग की जा रही थी। दौराने भ्रमण हथियापुर क्रासिंग के पास स्थित तिराहे पर एक कार खड़ी मिली, जिसे संदिग्ध होने पर कार चालक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मनीष गुप्ता पुत्र रजनेश गुप्ता निवासी ठाकुर जी मन्दिर के पास कचहरी टोला थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज बताया। उपरोक्त व्यक्ति की जामातलाशी से उसके पास 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 280/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मिली कार को 207 एमवी एक्ट में सीज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त मनीष उपरोक्त ने पूछताछ पर गलती की माँफी मांगते हुये बताया कि साहब यह तमंचा मैने गाँव मोहल्ले में अपना रुतबा दिखाने के लिये रखा था। बाकी सफाई अपने वकील के जरिये मा0 न्यायालय के समक्ष दूंगा।

अभियुक्त मनीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0280/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. कार मैग्नाईट नं0 UP32MA4785- सीज अन्तर्गत धारा 207 MV Act
4. 01 सैमसंग मोबाइल व 01 आधारकार्ड

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह
2. का0 अनुज कुमार
3. का0 अनुज कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

Khudaganj, Uttar Pradesh, Ind
5mhf+rvc, Khudaganj, Uttar Pradesh 209724, In
Lat 27.179212° Long 79.674676°
12/09/2025 06:20 PM GMT +05:30
eck In
Farrukhabad,
UP84AS6462
26mm

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

दैनिक जागरण

प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों को दिया साइबर संबंधित प्रशिक्षण

फर्रुखाबाद : पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्रशिक्षण दिया। साइबर पोर्टल और अपराध के संबंध में बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के आनलाइन फ्राड, इंटरनेट मीडिया अपराध, हैकिंग आदि की जानकारी दी गई। जासं

हिन्दुस्तान

हथियार चलाए, आंसू गैस के गोले दागे

बलवा ड्रिल

फर्रुखाबाद, कार्यालय संवाददाता। त्योहारों को लेकर अपने जिले की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गयी है। शुक्रवार को पुलिस लाइन के मैदान में बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने प्रतिकूल परिस्थिति में हालातों पर कैसे काबू पाया जाये इसको लेकर पुलिस कर्मियों को तरीके बताये। पुलिस कर्मियों से हथियारों को चलवाकर भी देखा गया। आंसू गैस के गोले भी छुड़वाये गये।

एसपी ने अपनी मौजूदगी में ही पुलिस कर्मियों को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया और उन्हें विस्तार से जानकारी दी। कहा कि जब भी कभी स्थिति बिगड़े तो सूझबूझ से काम लें, घबरायें न। अपने आप को भी सुरक्षित रखें और दूसरे का भी ध्यान रखें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी त्योहारों को सकुशल

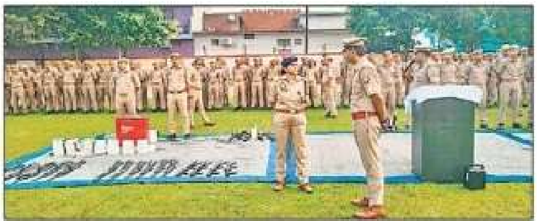

बलवा ड्रिल के अभ्यास को लेकर निर्देशित करती पुलिस अधीक्षक आरती सिंह।

शाखाओं का किया निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने शुक्रवार की सुबह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर साप्ताहिक परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से चुस्त दुरस्त रखने के लिए दौड़ लगवायी। परेड के दौरान अनुशासन पर जोर दिया गया। इसके बाद उन्होंने यूपी 112, मैस निरीक्षण किया गया है।

अपराध को लेकर समझाया

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे रिक्रूटों को साइबर क्राइम टीम व आरटीसी प्रशिक्षकों के द्वारा साइबर से संबंधित पोर्टल, साइबर जागरूकता तथा साइट्रेन प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी गयी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों की जटिलताओं को समझना पड़ रहा है।

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

हिन्दुस्तान

गैंगस्टर मामले में 6-6 साल की सजा

फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने गैंगस्टर मामले में दो दोषियों को छह छह साल की सजा से दंडित किया है। प्रत्येक पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

कंपिल थाने में गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम मे अहिवरन नगला गांव के सूरजपाल, चक्रपाल, रघुवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें सूरजपाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ विशेष सत्र परीक्षण की कार्रवाई उपशमित कर दी गयी थी।

तत्कालीन एसओ राजेश कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन और साक्ष्यों के आधार पर दो दोषियों चक्रपाल और रघुवीर को छह छह साल की सजा से दंडित किया है।

मीडिया सेल फतेहगढ़